उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस पिटीशन नं0-19/2019-20

सुनील कुमार मंडल

बनाम्

राज्य एवं अन्य

-: आदेश :-

दिनांक	
14/04/21	आवेदक सुनील कुमार मंडल, पे0-शतीष मंडल, सा0-अमरपुर, थाना-गोड्डा (नगर), जिला-गोड्डा ने धारा 321 द0प्र0सं0 के तहत सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड संख्या-19/2011 दिनांक-05.07.2011, जी0आर0 सं0-779/11 धारा 467, 468, 471, 420 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमा को वापस लेने हेतु आवेदन दिया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के विरूद्ध धारा 467, 468, 471, 420 भा0द0वि0 के अन्तर्गत सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड संख्या-19/11 जी0आर0 नं0-779/11 दर्ज कराया गया। लेखा परीक्षा पदाधिकारी, राँची के द्वारा आवेदक पर लगाये गये आरोपों के संबंध में जाँच किया गया एवं सभी कागजातों का छानबीन किया गया है। उन्होंने जाँचोपरांत अपना प्रतिवेदन समर्पित किया गया और आवेदक के विरूद्ध लगाये गये सारे आरोपों को पूर्णतः गलत एवं निराधार पाया गया। इस प्रकार आवेदक के विरूद्ध चल रहे मुकदमें में अब कोई भी औचित्य नहीं रह गया है। उनका आगे कथन है कि विज्ञ सरकारी अधिवक्ता ने अपने रेफरेन्स नं0-28/2020 दिनांक-28.02.2020 द्वारा विधि सम्मत राय प्रेषित किया है, जिसमें उन्होंने सारे तथ्यों एवं महालेखा परीक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर विचार करते हुए एवं सुसंगत कानूनी प्रावधानों को देखते हुए अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि आवेदक पर लगाये गये सारे आरोप गलत एवं तथ्यहीन है। उक्त विधि सम्मत राय को संलग्न करते हुए असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा अपने पत्रांक-1215 दिनांक-03.10.2020 द्वारा न्यायालय को प्रेषित किया है। उससे स्पष्ट है कि आवेदक के विरूद्ध लगाये गये सारे आरोप तथ्य हीन एवं निराधार है। उनका आगे कथन है कि आवेदक अल्प वेतन

भोगी कर्मचारी है, जिस सम्पूर्ण परिवार का भरण पोषण का भार है। उन्होंने मुकदमे को वापस लेने हेतु अनुरोध किया है।

आवेदक ने धारा 321 द0प्र0सं0 के तहत आवेदन देकर उनके विरूद्ध दर्ज मुकदमें को वापस लेने हेतु अनुरोध है जो इस स्तर से स्वीकार्य योग्य नहीं है।

अतः आवेदक का आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

14/04/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

14/04/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.10 12:50:41 +05:30
Location: 192.168.29.32